

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2017/202


दायरा दिनांक 17.07.2017



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

वादीगण		प्रतिवादीगण
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. सेवाराम पुत्र अमराराम</li> <li>2. लूणाराम पुत्र अमराराम</li> <li>3. नानूराम पुत्र अमराराम</li> <li>4. भोलकीदेवी पत्नि अमराराम समस्त जाति मेघवाल निवासी गिरधारीपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)</li> </ol>	बनाम्	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बागाराम पुत्र चिमना</li> <li>2. रतनाराम पुत्र चिमना</li> <li>3. गीगाराम पुत्र भागीरथराम</li> <li>4. श्रवणराम पुत्र भागीरथराम</li> <li>5. केसर पत्नि भागीरथराम</li> <li>6. बिरदाराम पुत्र उदाराम</li> <li>7. नेमाराम पुत्र उदाराम</li> <li>8. सांवरमल पुत्र उदाराम</li> <li>9. सूप्यार वेवा उदाराम</li> <li>10. पीथाराम पुत्र जालूराम</li> <li>11. मांगीलाल पुत्र जालूराम</li> <li>12. भंवरी पत्नि जालूराम</li> <li>13. भंवरलाल पुत्र केशाराम</li> <li>14. नन्दाराम पुत्र केशाराम</li> <li>15. कानाराम पुत्र केशाराम</li> <li>16. गोविन्द पुत्र केशाराम</li> <li>17. हीरालाल पुत्र केशाराम</li> <li>18. बिडदा पत्नि केशाराम</li> <li>19. भंवरलाल पुत्र रामेश्वरलाल</li> <li>20. ख्यालीराम पुत्र रामेश्वरलाल</li> <li>21. श्रवणराम पुत्र रामेश्वरलाल</li> <li>22. घासी पुत्र रामेश्वरलाल</li> <li>23. शंकर पुत्र रामेश्वरलाल</li> <li>24. धर्मराम पुत्र रामेश्वरलाल</li> <li>25. जीवणी पत्नि रामेश्वरलाल</li>   <li>26. गोपालराम पुत्र रूडाराम</li> <li>27. चेनाराम पुत्र रूडाराम</li> <li>28. बंशीराम पुत्र रूडाराम</li> <li>29. जगदीशराम पुत्र रूडाराम</li> <li>30. दलूडी पत्नि रूडाराम</li> <li>31. भगवानाराम पुत्र ईशाराम</li> <li>32. सूपंडाराम पुत्र ईशाराम</li> <li>33. मंगलाराम पुत्र ईशाराम</li> <li>34. जैसाराम पुत्र ईशाराम समस्त जाति मेघवाल निवासी गिरधारीपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)</li> <li>35. मुन्नी पत्नि हकीम</li> <li>36. अब्दूलमजीद पुत्र ममदखॉ</li> </ol>

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

		<p>समस्त जाति भाट निवासी गिरधारीपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)</p> <p>37. हकीम पुत्र रहमतुल्लाह</p> <p>38. गफूर पुत्र रहमतुल्लाह समस्त जाति भाट निवासी घीरडोदा खारा तहसील लाडनूं जिला नागौर (राज.)</p> <p>39. ग्राम पंचायत कलवानी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.</p> <p>40. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना</p>
--	--	--

दावा बाबत

दावा घोषणा खातेदारी व रेकॉर्ड दुरुस्ती बन्तवारा

हस्ब धारा 88,53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित-


1. श्री अशोक कुमार भाकर, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री राजेश कुमार राखेचा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण सं० 01, ता 03 व 05  
ता 09 व 12 ता 14 व 16, व 18 ता 20 व 24 ता 27 व 30 ता 31 व  
33 व 35 ता 38,।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 11.09.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किं मौजा गिरधारीपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 129 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 133 रकबा 32 बीघा खेत ख.न. 134 रकबा 15बीघा 05 बिस्वा, खेत ख.न. 135 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खेत ख.न. 137 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खेत ख.न. 138 रकबा 11 बीघा, खेत ख.न. 139 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 140 रकबा 32 बीघा 19 बिस्वा, खेत ख.न. 112 रकबा 21 बीघा खेत ख.न. 114 रकबा 01 बीघा, खेत ख.न. 117 रकबा 25 बीघा, खेत ख. न. 131 रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा, खेत ख.न. 132 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खेत ख.न. 122 रकबा 46 बीघा 10 बिस्वा, स्थित है। जो वादीगण व प्रतिवादीगण सं 01 ता 34 की पैत्रिक सामलाती खातेदारी व खरीद सुदा व कब्जा काश्त की है। नकल खतौनियों सम्वत 2073-2076 पेश है।

वादीगण के पडदादा गीदाराम के दो पुत्र दुलाराम व खांगाराम, हुए। दुलाराम व खांगाराम फौत हो चुके है। दुलाराम के वारिसान में दो पुत्र चीमनाराम व रूडाराम हुए जो फौत हो चुके है। चीमनाराम के वारिसान में चार पुत्र बागाराम, भागीरथराम, रतनाराम, उदाराम हुए जिनमें भागीरथराम व उदाराम फौत हो चुके है। भागीरथराम के

  
 सहायक कलक्टर  
 डीडवाना (नागौर)

वारिसान में दो पुत्र श्रवणराम व गीगाराम व उनकी पत्नि कंसर है। तथा उदाराम के वारिसान में तीन पुत्र बिरदाराम, नेमाराम, सावरमल व उनकी पत्नि सुप्यार है। रूडाराम के सात पुत्र जालूराम, केशाराम, रामेश्वरलाल, गोपालराम, चेनाराम, बंशीराम, जगदीशराम व उनकी पत्नि दलुडी है। जिनमें जालूराम, केशाराम, रामेश्वरराम फौत हो चुके है। जालूराम के वारिसान में दो पुत्र पीथाराम, मांगीलाल व उनकी पत्नि भंवरी है। तथा केशाराम के वारिसान में पाँच पुत्र भंवरलाल, नन्दाराम, कानाराम, गोविन्द, हीरालाल, व उनकी पत्नि विडदा है। रामेश्वरराम के वारिसान में छः पुत्र भंवरलाल, ख्यालीराम, श्रवणराम, घासीराम, शंकर, धर्माराम, व उनकी पत्नि जीवणीदेवी है। इसी प्रकार खांगाराम के दो पुत्र ईशराराम, अमराराम, हुए जो फौत हो चुके हैं। ईशराराम के वारिसान में चार पुत्र भगवानाराम, सूण्डाराम, मंगलाराम, जैसाराम हुए उनकी पत्नि झमकू फौत हो चुकी है। तथा अमराराम के वारिसान में तीन पुत्र सेवाराम, लूणाराम, नानूराम, व उनकी पत्नि भोलकीदेवी है।

दुलाराम के जीवनकाल में दो पुत्र चिमना व रूडाराम हुए उसके बाद दुलाराम फौत हो गया। दुलाराम के फौत होने पर दुलाराम की पत्नि मानादेवी ने अपने देवर खांगाराम से नाता कर लिया। खांगाराम के दो पुत्र ईशराराम व अमराराम हुए। इस प्रकार उपरोक्त खेतों की जमीन दुलाराम व खांगाराम के समय 1/2-1/2 हिस्से में बंटी हुई थी। उपरोक्त पैत्रिक खेतों का 1/2 भाग पर दुलाराम व उसके वारिसान चिमना व रूडाराम काशत करता था, और 1/2 भाग पर खांगाराम व उसके वारिसान ईशराराम व अमराराम काशत करता था, और अलग ही कमाते खातें थे। और अलग-अलग ही रहते और अलग ही निवास करते है।

वादी सेवाराम के पिता का नाम अमराराम है लेकिन उपरोक्त खेतों की खातेदारी में वादी सेवाराम के पिता का नाम कही अमराराम दर्ज है तो कही आशाराम दर्ज हो गया जिसको दुरुस्त किया जाकर आशाराम के स्थान पर अमराराम दर्ज किया जावे। इसी प्रकार वादी के पिता अमराराम के पिता का नाम दुलाराम दर्ज जबकि अन्य खेतों की खातेदारी में खांगाराम दर्ज है इस कारण पटवारी हल्का ने अमराराम के फौतगी म्युटेशन में अमराराम के स्थान पर वादीगण के नाम भरने से मना कर दिया। जबकि अमराराम के पिता का वास्तविक नाम खांगाराम है। जिससे वादीगण के जायज खातेदारी अधिकार खतरे में पड़ गये है। तथा खातेदारी में दर्ज रूडाराम के पुत्र का नाम रामेश्वरी दर्ज है जबकि सही नाम रामेश्वर है तथा अमराराम के पिता का नाम दुलाराम दर्ज जबकि अमराराम के पिता का सही नाम खांगाराम है। जिसको दुरुस्त किया जाकर उनके स्थान पर उनके वारिसान वादीगण संख्या 01 ता 04 का नाम दर्ज किया जावे। तथा खातेदार उदाराम फौत हो चुका है उनके स्थान पर उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 06 ता 09 का नाम दर्ज किया जावे। तथा खातेदार केसाराम फौत हो चुका है उनके स्थान पर उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 13 ता 18 का नाम दर्ज किया जावे। तथा खातेदार रामेश्वर फौत हो चुका है उनके स्थान पर उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 19 ता 25 का नाम दर्ज किया जावे। तथा खातेदारी झमकू पत्नि ईसरा फौत हो चुकी है। उनके वारिसान पहले से रेकॉर्ड पर है। उनका नाम खातेदारी से हटाया जावे।

सहायक कलेक्टर  
डोडवाना (नागौर)

स्वं दूलाराम व खागाराम ने अपने जीवनकाल में ही बन्टवारा कर अलग-अलग काश्त करने लग गये थे। तथा दूलाराम व खागाराम के फौत होने पर सब भाईयो ने मिल बैठ कर राजीकुशी अपने पुर्वजो के बन्टवारा के अनुसार ही मौके पर अलग-अलग काश्त करने लग गये है। जिसको वादीगण ने अपने नजरी नक्शा अनुसूची 'क' 'ख' 'ग' में बन्टवारे के अनुसार अपने बन्ट को दर्शाया गया है। उक्त नजरी नक्शा अनुसूची 'क' 'ख' 'ग' दावे का अहम भाग है। बन्ट निम्न प्रकार है:-

(क) वादीगण संख्या 01 ता 04 (अमराराम के वारिसान) के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत:-

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 129 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा मे से 08 बीघा 04 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 139 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा में से 05 बीघा 18 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 138 रकबा 11 बीघा सम्पूर्ण नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 134 रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा मे से 12 बीघा 04 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 112 रकबा 21 बीघा मे से 07 बीघा 07 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 131 रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा मे से 13 बीघा 14 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 132 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा मे से 02 बीघा 12 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार


(ख) प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 (चिमनाराम के वारिसान) के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत:-

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 137 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा सम्पूर्ण नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 133 रकबा 32 बीघा सम्पूर्ण नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 134 रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा मे से 03 बीघा 01 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 112 रकबा 21 बीघा मे से 07 बीघा 06 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

  
सहयन्त्र कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

(ग) प्रतिवादी संख्या 10 ता 30 (रूडाराम के वारिसान)के बन्ट व कब्जा काशत का खेत:-

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 129 रकवा 24 बीघा 10 बिस्वा मे से 08 बीघा 03 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 140 रकवा 32 बीघा 19 बिस्वा मे से 29 बीघा 03 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

(घ) प्रतिवादी संख्या 31 ता 34 (ईशराराम के वारिसान)के बन्ट व कब्जा काशत का खेत:-

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 129 रकवा 24 बीघा 10 बिस्वा मे से 08 बीघा 03 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 140 रकवा 32 बीघा 19 बिस्वा में से 03 बीघा 16 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 139 रकवा 25 बीघा 10 बिस्वा मे से 19 बीघा 12 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 135 रकवा 05 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 112 रकवा 21 बीघा मे से 06 बीघा 06 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 114 रकवा 01 बीघा सम्पूर्ण नजरी नक्शा अनुसार

(ङ) प्रतिवादी संख्या 35 मुन्नी के बन्ट व कब्जा काशत का खेत:-


मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 122 रकवा 46 बीघा 10 बिस्वा मे से 07 बीघा 08 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 117 रकवा 25 बीघा मे से 01 बीघा 01 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार (मुन्नी ने ख. न. 117 मे से 01 बीघा 03 बिस्वा में से 02 बिस्वा जमीन ग्राम पंचायत को देने पर शेष जमीन 01 बीघा 01 बिस्वा )

(च.) प्रतिवादी संख्या 36 अब्दूलमजीद पुत्र ममदखॉ के बन्ट व कब्जा काशत का खेत:-

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 122 रकवा 46 बीघा 10 बिस्वा मे से 12 बीघा नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 122 रकवा 46 बीघा 10 बिस्वा मे से 05 बीघा नजरी नक्शा के अनुसार

  
कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

(छ) प्रतिवादीगण संख्या 37 ता 38 हकीम गफूर के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत:-

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 122 रकबा 46 बीघा 10 बिस्वा मे से 11 बीघा नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 122 रकबा 46 बीघा 10 बिस्वा मे से 11 बीघा 02 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 132 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा मे से 01 बीघा 03 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

(ज) प्रतिवादीगण संख्या 19 ता 25(रामेश्वर के वारिसान) के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत:-

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 117 रकबा 25 बीघा मे से 16 बीघा 05 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

(झ) प्रतिवादी संख्या 26 गोपालराम के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत:-

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 117 रकबा 25 बीघा मे से 07 बीघा 12 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार


मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 131 रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा मे से 08 बीघा 13 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार

(ट) प्रतिवादीगण संख्या 39 ग्राम पंचायत कलवानी के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत:-

मौजा गिरधारीपुरा के खेत ख.न. 117 रकबा 25 बीघा मे से 02 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार (खातेदार मुन्नी के हिस्से में से)

इस प्रकार मौके पर काश्तकार अपनी-अपनी सुविधा व सामलाती जमीन पर कब्जा काश्त व बढेरो के बन्ट के अनुसार कुल जमीन के अलग-अलग भाग किये जाकर अलग-अलग बन्ट किये हुए है उक्त बन्ट को वादीगण द्वारा पेश नजरी नक्शा अनूसूची „क,, „ख,, „ग,, में दर्शाया हुआ है। उक्त नजरी नक्शा अनूसूची „क,, „ख,, „ग,, इस वाद का अहम भाग है। नजरी नक्शे मे प्रत्येक खातेदार व भाईयो के बन्ट मे आई जमीन को दर्शाया गया है। नजरी नक्शा के अनुसार मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण 01 ता 39 का कब्जा काश्त है।

मौजा गिरधारीपुरा के खेत खसरा 117, 132 मे काश्तकार प्रतिवादी संख्या 35 ता 36 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज जबकि पुर्वजो के मौखिक बन्ट व काश्तकारो की सुविधा के अनुसार खसरा नम्बर 117 मे से 01 बीघा 03 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 35 व 39 के बन्ट में रखा गया शेष जमीन खसरा नम्बर 117 के चिपते ही खसरा नम्बर 122 में से दे रखी है। जो पुर्वजो के समय से है। खेत खसरा 117, 132 की शेष जमीन

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

वादीगण संख्या 01 ता 04 व रुडा के वारिसान प्रतिवादी संख्या रामेश्वर व गोपालराम के बन्ट मे पुर्वज के समय से बन्ट में रखी गई है।

मौजा गिरधारीपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 129 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 133 रकबा 32 बीघा खेत ख.न. 134 रकबा 15बीघा 05 बिस्वा, खेत ख.न. 135 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खेत ख.न. 137 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खेत ख.न. 138 रकबा 11 बीघा, खेत ख.न. 139 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 140 रकबा 32 बीघा 19 बिस्वा, खेत ख.न. 112 रकबा 21 बीघा खेत ख.न. 114 रकबा 01 बीघा, खेत ख.न. 117 रकबा 25 बीघा, खेत ख.न. 131 रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा, खेत ख.न. 132 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खेत ख.न. 122 रकबा 46 बीघा 10 बिस्वा, की खातेदारी में सेवाराम के पिता अमराराम के स्थान पर आशाराम दर्ज हो जाने से व रुडाराम के पुत्र रामेश्वर के स्थान पर रामेश्वरी दर्ज हो जाने से व स्व.अमराराम के पिता खांगाराम के स्थान पर दुलाराम दर्ज होने से अमराराम पुत्र खांगाराम के नाम से जारी अमराराम का मृत्यु प्रमाण पत्र से अमराराम का फौतगी म्युटेशन में वादीगण संख्या 01 ता 04 का नाम खातेदारी में दर्ज करने के लिए पटवारी हल्का द्वारा मना कर देने से व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 34 के खेतों की खातेदारी में जाति मेघवाल की वजाय भाम्बी व बलाई दर्ज हो जाने से व खातेदारान द्वारा अपनी सुविधा अनुसार मौके पर बन्ट व कब्जा काश्त के अनुसार जमीन खातेदारी व खसरा में वाद के पद संख्या 07 के अनुसार खातेदारी दर्ज नहीं होने से वादीगण के जायज खातेदारी अधिकार खतरे में पड. गये है। जिस हेतु वादीगण को घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरुस्ती का दावा पेश करना लाजमी हुआ है। दावा घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरुस्ती का पेश है।

बन्टवारा प्रतिवादी 01 ता 38 करने से इनकार होने व मामला अचल सम्पत्ति का है। खेतों पर वादीगण का वर्षों से कब्जा काश्त है। मगर कब्जे काश्त के अनुसार खसरा व खातेदारी दर्ज नहीं होने से व जमीन वाई मिटस एण्ड बाउण्डस से बन्टी हुई नहीं होने से वादीगण की जमीन की सीव मौके पर कायम करनी जरूरी हो गई है प्रतिवादी स. 01 ता 38 सामलाती खातेदारी की ओट मे वादीगण के कब्जे की जमीन बैचने पर उत्तारू है। इस लिए वादीगण अपने बन्ट व पैत्रिक जमीन का बन्टवारा कराने हेतु बन्टवारा का दावा पेश करते है।

प्रार्थना वादीगण है कि

वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे तथा मौजा गिरधारीपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 129 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 133 रकबा 32 बीघा खेत ख.न. 134 रकबा 15बीघा 05 बिस्वा, खेत ख.न. 135 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खेत ख.न. 137 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खेत ख.न. 138 रकबा 11 बीघा, खेत ख.न. 139 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 140 रकबा 32 बीघा 19 बिस्वा, खेत ख.न. 112 रकबा 21 बीघा खेत ख.न. 114 रकबा 01 बीघा, खेत ख.न. 117 रकबा 25 बीघा, खेत ख.न. 131 रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा, खेत ख. न. 132 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खेत ख.न. 122 रकबा 46 बीघा 10

  
डॉ. बाना (नागौर)

बिस्वा. की खातेदारी वाद के पद संख्या 06 के अनुसार व वादीगण द्वारा पेश नजरी नक्शा अनुसूची „क., „ख., „ग., के अनुसार अलग-अलग वादीगण व प्रतिवादीगण 01 ता 39 के नाम घोषित की जाकर, वादीगणसंख्या 01 ता 04 व प्रतिवादी संख्या 01 ता 34 की जाति भाम्बी व बलाई के स्थान पर मेघवाल व वादी सेवाराम के पिता का नाम आसाराम के स्थान पर अमराराम दुरुस्त किया जावे। तथा खातेदार इमकू पत्नि इशरा, रामेश्वरी पुत्र रुडा, उदाराम पुत्र चिमना, केशाराम पुत्र रुडा, अमरा पुत्र दुला का नाम खातेदारी से हटाया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती फरमाई जावे।

भौजा गिरधारीपुरा की शहरद में खेत ख.न. 129 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 133 रकबा 32 बीघा खेत ख.न. 134 रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा, खेत ख.न. 135 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खेत ख.न. 137 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खेत ख.न. 138 रकबा 11 बीघा, खेत ख. न. 139 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 140 रकबा 32 बीघा 19 बिस्वा, खेत ख.न. 112 रकबा 21 बीघा खेत ख.न. 114 रकबा 01 बीघा, खेत ख.न. 117 रकबा 25 बीघा, खेत ख.न. 131 रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा, खेत ख.न. 132 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खेत ख.न. 122 रकबा 46 बीघा 10 बिस्वा, का मौके पर कब्जा काश्त व काश्तकारो की सुविधा के अनुसार बन्तवारा वाद के पद संख्या 06 व नजरी नक्शा अनुसूची „क., „ख., „ग., के अनुसार जमीन का बन्तवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से कर वादीगण व प्रतिवादीगण 01ता 39 के हिस्सा व कब्जा काश्त की जमीन राजस्व रेकॉर्ड में अलग से बन्त में दिलाने का आदेश फरमाया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 30 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनांक 11.09.2017 को प्रतिवादी संख्या 04, 10 ता 11, 15, 17, 21 ता 23 28 ता 29, 32, 34 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए प्रतिवादी संख्या 04, 10 ता 11, 15, 17, 21 ता 23 28 ता 29, 32, 34 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से एक पक्षिये कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 01, ता 03 व 05 ता 09 व 12 ता 14 व 16, व 18 ता 20 व 24 ता 27 व 30 ता 31 व 33 व 35 ता 38, ने न्यायालय में राजीनामा पेश किया। पक्षकारान् जरिये राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमत हैं।

वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 01, ता 03 व 05 ता 09 व 12 ता 14 व 16, व 18 ता 20 व 24 ता 27 व 30 ता 31 व 33 व 35 ता 38, द्वारा पेश किये गये राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गई जिसे पक्षकारान् द्वारा बिना किसी लालच या दबाव के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार

  
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

भाकर ने की व प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार राखेचा ने की। अतः बख्वाहिश राजीनामा पक्षकारान् तस्दीक किया गया।

मौजा गिरधारीपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 129 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 133 रकबा 32 बीघा खेत ख.न. 134 रकबा 15बीघा 05 बिस्वा, खेत ख.न. 135 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खेत ख.न. 137 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खेत ख.न. 138 रकबा 11 बीघा, खेत ख. न. 139 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 140 रकबा 32 बीघा 19 बिस्वा, खेत ख.न. 112 रकबा 21 बीघा खेत ख.न. 114 रकबा 01 बीघा, खेत ख.न. 117 रकबा 25 बीघा, खेत ख.न. 131 रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा, खेत ख.न. 132 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खेत ख.न. 122 रकबा 46 बीघा 10 बिस्वा, की खातेदारी वाद के पद संख्या 06 के अनुसार व वादीगण द्वारा पेश नजरी नक्शा अनुसूची „क., „ख., „ग., के अनुसार अलग-अलग वादीगण व प्रतिवादीगण 01 ता 39 के नाम घोषित की जाकर, वादीगणसंख्या 01 ता 04 व प्रतिवादी संख्या 01 ता 34 की जाति भाम्बी व बलाई के स्थान पर मेघवाल व वादी सेवाराम के पिता का नाम आसाराम के स्थान पर अमराराम दुरुस्त किया जावे। तथा खातेदार झमकू पत्नि ईशरा, रामेश्वरी पुत्र रूडा, उदाराम पुत्र चिमना ,केशाराम पुत्र रूडा ,अमरा पुत्र दुला का नाम खातेदारी से हटाया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती फरमाई जावें।

मौजा गिरधारीपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 129 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 133 रकबा 32 बीघा खेत ख.न. 134 रकबा 15बीघा 05 बिस्वा, खेत ख.न. 135 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खेत ख.न. 137 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खेत ख.न. 138 रकबा 11 बीघा, खेत ख. न. 139 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 140 रकबा 32 बीघा 19 बिस्वा, खेत ख.न. 112 रकबा 21 बीघा खेत ख.न. 114 रकबा 01 बीघा, खेत ख.न. 117 रकबा 25 बीघा, खेत ख.न. 131 रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा, खेत ख.न. 132 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खेत ख.न. 122 रकबा 46 बीघा 10 बिस्वा,का मौके पर कब्जा काश्त व काश्तकारो की सुविधा के अनुसार बन्टवारा वाद के पद संख्या 06 व नजरी नक्शा अनुसूची „क., „ख., „ग., के अनुसार जमीन का बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से कर वादीगण व प्रतिवादीगण 01ता 39 के हिस्सा व कब्जा काश्त की जमीन राजस्व रेकर्ड मे अलग से बन्ट में दिलाने का आदेश फरमाया जावें।

बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया। अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर  
डोडयाना (नागौर)

:-आदेश:-

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, मौजा गिरधारीपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 129 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 133 रकबा 32 बीघा खेत ख.न. 134 रकबा 15बीघा 05 बिस्वा, खेत ख.न. 135 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खेत ख.न. 137 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खेत ख.न. 138 रकबा 11 बीघा, खेत ख.न. 139 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 140 रकबा 32 बीघा 19 बिस्वा, खेत ख.न. 112 रकबा 21 बीघा खेत ख.न. 114 रकबा 01 बीघा, खेत ख.न. 117 रकबा 25 बीघा, खेत ख. न. 131 रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा, खेत ख.न. 132 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खेत ख.न. 122 रकबा 46 बीघा 10 बिस्वा उपरोक्त खेतों की खातेदारी राजीनामा व नजरी नक्शा के अनुसार घोषित की जाती है तथा वादीगणसंख्या 01 ता 04 व प्रतिवादी संख्या 01 ता 34 की जाति भाम्बी व बलाई के स्थान पर मेघवाल व वादी सेवाराम के पिता का नाम आसाराम के स्थान पर अमराराम दुरुस्त किया जाता है। तथा खातेदार झमकू पत्नि ईशारा, रामेश्वरी पुत्र रूडा, उदाराम पुत्र चिमना, केशाराम पुत्र रूडा, अमरा पुत्र दुला का नाम खातेदारी से हटाया जाता है। तथा मौजा गिरधारीपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 129 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 133 रकबा 32 बीघा खेत ख.न. 134 रकबा 15बीघा 05 बिस्वा, खेत ख.न. 135 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खेत ख.न. 137 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खेत ख.न. 138 रकबा 11 बीघा, खेत ख.न. 139 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 140 रकबा 32 बीघा 19 बिस्वा, खेत ख.न. 112 रकबा 21 बीघा खेत ख.न. 114 रकबा 01 बीघा, खेत ख.न. 117 रकबा 25 बीघा, खेत ख. न. 131 रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा, खेत ख.न. 132 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खेत ख.न. 122 रकबा 46 बीघा 10 बिस्वा का बन्तवारा राजीनामा व नजरी नक्शा अनुसुची „क,, „ख,, „ग,, के अनुसार कर वाद डिक्री किया जाता है। राजीनामा, व नजरी नक्शा अनुसुची „क,, „ख,, „ग,, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।



(उत्तमसिंह शेखावत)  
सहायक **A.डि.क्टर**  
डीडवाना (मन्सूर)  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 11.09.2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)  
सहायक **A.डि.क्टर**  
डीडवाना (मन्सूर)  
डीडवाना

दिग्वि समुदायके इस्तराई  
(आर्डर नं. कल 6, 7 जिला नागौर)  
आज कलकाल:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना  
सदरनामः श्री उममसिंह सोखवाल, M.A.S.

संख्या नं. डी.डी. 2017/2017

दिनांक 17/01/2017

सं. क्र.	व्यक्ति का नाम	पति का नाम
1	सोखाराम पुत्र उममराम	1. सोखाराम पुत्र दिग्वि
2	खुमाराम पुत्र उममराम	2. खुमाराम पुत्र दिग्वि
3	मानूराम पुत्र उममराम	3. मीनाराम पुत्र भारीशराम
4	भोलकीशरी पति उममराम समस्त जाति मेघवाल निवासी गिरधारीपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	4. शिवराम पुत्र भारीशराम 5. केशव पति भारीशराम 6. विरदाराम पुत्र उदाराम 7. नमवाराम पुत्र उदाराम 8. शंकरराम पुत्र उदाराम 9. सुखर देवा उदाराम 10. शिवराम पुत्र जालूराम 11. भारीशराम पुत्र जालूराम 12. भदरी पति जालूराम 13. भदरराम पुत्र केशाराम 14. मन्दाराम पुत्र केशाराम 15. कानाराम पुत्र केशाराम 16. गण्डिन पुत्र केशाराम 17. हीराराम पुत्र केशाराम 18. विहदा पति केशाराम 19. भदरराम पुत्र रामेश्वरलाल 20. खड्गलाराम पुत्र रामेश्वरलाल 21. शिवराम पुत्र रामेश्वरलाल 22. धारी पुत्र रामेश्वरलाल 23. शंकर पुत्र रामेश्वरलाल 24. धर्मराम पुत्र रामेश्वरलाल 25. जीवणी पति रामेश्वरलाल 26. गोपालराम पुत्र कडाराम 27. बनाराम पुत्र कडाराम 28. वशीराम पुत्र कडाराम 29. जगदीशराम पुत्र कडाराम 30. दलूडी पति कडाराम 31. भगवानाराम पुत्र ईशाराम 32. सुषडाराम पुत्र ईशाराम 33. मंगलाराम पुत्र ईशाराम 34. जैसाराम पुत्र ईशाराम समस्त जाति मेघवाल निवासी गिरधारीपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 35. मुन्नी पति हकीम 36. अब्दुलमजीद पुत्र ममदखी



2  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

		<p>समस्त जाति भाट निवासी गिरधारीपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)</p> <p>37. हकीम पुत्र रहमतुल्लाह 38. गफूर पुत्र रहमतुल्लाह समस्त जाति भाट निवासी धीरडोदा खारा तहसील लाडनू जिला नागौर (राज.)</p> <p>39. ग्राम पंचायत कलवानी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.</p> <p>40. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना</p>
--	--	--

दावा बाबत

दावा घोषणा खातेदारी व रिकॉर्ड दुरुस्ती बन्टवारा

हस्व धारा 88,53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 11.09.2017


यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अशोक कुमार भाकर अधिवक्ता, वादीगण व राजेश कुमार राखेचा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण सं० 01,ता 03 व 05 ता 09 व 12 ता 14 व 16, व 18 ता 20 व 24 ता 27 व 30 ता 31 व 33 व 35 ता 38,की ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर मौजा गिरधारीपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 129 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 133 रकबा 32 बीघा खेत ख.न. 134 रकबा 15बीघा 05 बिस्वा, खेत ख.न. 135 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खेत ख.न. 137 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खेत ख.न. 138 रकबा 11 बीघा, खेत ख.न. 139 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 140 रकबा 32 बीघा 19 बिस्वा, खेत ख.न. 112 रकबा 21 बीघा खेत ख.न. 114 रकबा 01 बीघा, खेत ख.न. 117 रकबा 25 बीघा, खेत ख.न. 131 रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा, खेत ख.न. 132 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खेत ख.न. 122 रकबा 46 बीघा 10 बिस्वा उपरोक्त खेतों की खातेदारी राजीनामा व नजरी नक्शा के अनुसार घोषित की जाती है तथा वादीगणसंख्या 01 ता 04 व प्रतिवादी संख्या 01 ता 34 की जाति भाम्बी व बलाई के स्थान पर मेघवाल व वादी सेवाराम के पिता का नाम आसाराम के स्थान पर अमराराम दुरुस्त किया जाता है। तथा खातेदार झमकू पत्नि ईशरा, रामेश्वरी पुत्र रूडा, उदाराम पुत्र चिमना, केशाराम पुत्र रूडा, अमरा पुत्र दुला का नाम खातेदारी से हटाया जाता है। तथा मौजा गिरधारीपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 129 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 133 रकबा 32 बीघा खेत ख.न. 134 रकबा 15बीघा 05 बिस्वा, खेत ख.न. 135 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खेत ख.न. 137 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खेत



सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)


ख.न. 138 रकबा 11 बीघा, खेत ख.न. 139 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 140 रकबा 32 बीघा 19 बिस्वा, खेत ख.न. 112 रकबा 21 बीघा खेत ख.न. 114 रकबा 01 बीघा, खेत ख.न. 117 रकबा 25 बीघा, खेत ख. न. 131 रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा, खेत ख.न. 132 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खेत ख.न. 122 रकबा 46 बीघा 10 बिस्वा का बन्टवारा राजीनामा व नजरी नक्शा अनुसूची „क,, „ख,, „ग,, के अनुसार कर वाद डिक्री किया जाता है। राजीनामा, व नजरी नक्शा अनुसूची „क,, „ख,, „ग,, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....  
 ..-.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 11.09.2017 को जारी की गयी।

  
 सहायक कलेक्टर  
 सहायक कलेक्टर  
 डीडवाना (तागौर)

मुददई	पया	से	मुदायलह	पया	पैसे
म्प अर्जीदावा म्प वकालतनामा म्प वजह सबूत नताना वकील र्वा गवाहान स कमिश्नर प्रत इजराय मनामा फर्रिक			म्प वकालतनामा म्प अर्जी नताना वकील र्वा गवाहान स कमिश्नर प्रत इजराय हुक्मनामा फर्रिक		
ज्ञान			ज्ञान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

  
 सहायक कलेक्टर  
 सहायक कलेक्टर  
 डीडवाना (तागौर)

